दिनांक 18.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 18/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 01 हजार रूपये नगद**
- **लूट की 01 स्कूटी, 01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.05.2021 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गली नं0–2 बच्चन सिंह कालोनी टावर के पास से 05 अभियुक्तों 1–बॉबी उर्फ रिंकज 2–हिमांशु उर्फ छोटू 3–आकाश 4–प्रशान्त उर्फ प्रियांशु 5–छोटा उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01 लाख 01 हजार रूपये नगद, लूट की 01 स्कूटी, लूट का 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11.05.2021 को थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर मु0अ0सं0 203/2021 धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, स्कूटी व मोबाइल फोन उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–बॉबी उर्फ रिंकज निवासी सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

2–हिमांशु उर्फ छोटू निवासी नसीरपुर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

3–आकाश निवासी बिजौली थाना खरखौदा जनपद मेरठ।

4–प्रशान्त उर्फ प्रियांशु निवासी असोडा थाना कोतवाली देहात जनपद हापुड।

5–छोटा उर्फ राहुल निवासी सुभाषनगर थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 01 लाख 01 हजार रूपये नगद।

2–लूट की 01 स्कूटी।

3–01 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस।

5–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद एटा/थाना जैथरा</u>

- **लूट की घटनाओ का अनावरण**
- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 20 हजार 200 रूपये नगद**
- **लूट का 01 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर 05 जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17/18.05.2021 की रात्रि थाना जैथरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटा अलीगंज मार्ग पर दरियावगंज तिराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1–देवेश उर्फ सौरभ 2–अविनाश 3–रितिक को गिरफ्तार कर कई लूट की

घटनाओ का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 20 हजार 200 रूपये नगद, लूट का 01 मोबाइल फोन, आरी, छेनी, हथौड़ी, 03 अवैध तमंचा 315 बोर 05 जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद एटा के विभिन्न थानो में लूट, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि थाना जैथरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 183/2021 धारा 392 भादवि व मु0अ0सं0 200/2021 धारा 392 भादवि, थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 171/2021 धारा 392 भादवि एवं थाना बागवाला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2021 धारा 392 भादवि से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जैथरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—देवेश उर्फ सौरभ निवासी दौलतपुर थाना जैथरा जनपद एटा।

2—अविनाश निवासी वजीरपुर थाना हरिपर्वत जनपद आगरा।

3—रितिक निवासी काशीराम कालोनी मानपुर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 20 हजार 200 रूपये नगद।

2—लूट का 01 मोबाइल फोन।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर 05 जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

5—01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बिजनौर/थाना नहटौर

- **15–15 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17/18.05.2021 को थाना नहटौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नहटौर क्षेत्र से 15–15 हजार रूपये के 04 पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–शारदुल 2–शिवम 3–शगुन 4–ओमकार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नहटौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2021 धारा 302/452/323/504/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15–15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शारदुल निवासी फुलसन्दी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2–शिवम निवासी फुलसन्दी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3–शगुन निवासी फुलसन्दी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

4–ओमकार निवासी फुलसन्दी थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

जनपद प्रयागराज/थाना नवाबगंज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 18.05.2021 को थाना नवाबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्रृंग्वेरपुर तिराहा (कठौवा पुल) से 02 अभियुक्त 1–गुलजार उर्फ इमरान 2–अल्फाज अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल, 09 अवैध देशी बम बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—गुलजार उर्फ इमरान निवासी कादीपुर थाना सदर कोतवाली जनपद प्रतापगढ़, हालपता—मेंहदियाबाग लालागोपालगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

2—अल्फाज अहमद निवासी आधारगंज थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 07 मोटर साइकिल।

2—09 अवैध देशी बम।

<u>जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर</u>

- **मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **150 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनांक 18.05.2021 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तकिया चौराहा से मादक पदार्थ तस्कर राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बाराबंकी के थाना जैदपुर पर डकैती, आबकारी एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—राजू निवासी टण्डनपुरवा मजरे टेरा थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

<u>बरामदगी</u>

1—150 ग्राम अवैध मारफीन।

एसटीएफः जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र महोली में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री का एसटीएफ ने किया भण्डाफोड़, भारी मात्रा में देशी शराब, स्प्रिट एवं अन्य उपकरण बरामद।

दिनांक 17—05—2021 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब जनपद सीतापुर के थाना क्षेत्र महोली में छापा मारकर अवैध रूप से चल रही शराब फैक्ट्री का भडाफोड़ व 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में स्प्रिट एवं शराब बनाने के उपकरण बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तों का विवरणः—

1— विजय कुमार वर्मा पुत्र नेतराम वर्मा नि0 रिहाई, थाना महोली, जनपद सीतापुर।

2— अंकुश वर्मा पुत्र नेतराम वर्मा नि0 रिहाई, थाना महोली, जनपद सीतापुर।

3— सुमित कुमार पुत्र राम औतार नि0 मखौली ,थाना घाटमपुर, कानपुर देहात।

4— शिवशंकर गुप्ता पुत्र राम प्रकाश गुप्ता नि0 चौराई, थाना विधनू, जनपद कानपुर नगर।

5— बलवीर वर्मा पुत्र तिलकराम नि0 चमखर थाना महोली, सीतापुर।

बरामदगीः—

1— 148 पेटी अवैध देशी शराब।

2— 09 ड्रम स्प्रिट।

3— 01 अदद आरओ प्योरीफायर मशीन।

4— 01 अदद पैकिंग मशीन।

5— 20,000 (लगभग) विभिन्न ब्राण्ड के ढ़क्कन।

6— 10,000 (लगभग) छोटी बोतले।

7— 01 अदद एल्कोहल मीटर (सान्द्रता मापक)

8— 08 बण्डल क्यू0आर0 कोड।

9— 02 बोरी रैपर (फाइटर ब्राण्ड)

10— 01 अदद स्विफ्ट कार नं0 यूपी 34 एजेड 0880

11— 03 अदद मोबाईल फोन।

12— रू0 3260/— नगद।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः–

मॉ बैष्णों धर्मकाटा, महोली से लखनऊ रास्ट्रीय राजमार्ग पर थाना क्षेत्र महोली, सीतापुर, दिनांक 17–05–2021 समय 23.40 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ को राजधानी लखनऊ व उसके आस–पास के जनपदों में अवैध रूप से चल रहे शराब फैक्ट्री एवं विक्री के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिसके रोकथाम एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु एसटीएफ लखनऊ के विभिन्न टीमों को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री राकेश कुमार मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में कार्य कर रही टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, इसी दौरान ज्ञात हुआ कि थाना महोली क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ–सीतापुर–बरेली हाईवे के किनारे स्थित मॉ बैष्णों धर्मकॉटा के पास अवैध शराब का निर्माण व भण्डारण किया जा रहा है, साथ ही साथ सीतापुर सहित निकटवर्ती जनपदों मे आपूर्ति भी की जा रही है। प्राप्त इस ठोस सूचना पर उ0नि0 करूणेश पाण्डेय एसटीएफ लखनऊ के नेतृत्व मे टीम गठित कर जनपद सीतापुर के लिए रवाना किया गया। एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना से अवगत कराते हुये स्थानीय पुलिस के सहयोग से मॉ बैष्णों धर्मकाटा रिहाही चौराहे के पास पहुॅचा गया, जहॉ एक व्यक्ति मोबाईल से बात कर रहा था, जिसे मुखबिर से दूर से देखकर उसके तरफ इशारा किया, जिस पर एसटीएफ टीम ने उसे आवश्यक बल प्रयोग कर धर्मकाटा गेट से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त विजय कुमार वर्मा ने बताया कि वह अपने चार–पॉच साथियों के साथ मिलकर सीतापुर व आस–पास जिस ब्राण्ड के शराब की खपत ज्यादा होती है, उसी ब्राण्ड के शराब का अवैध रूप से निर्माण कराता हॅू, और आस–पास सप्लाई कराता हॅू, उससे शराब फैक्ट्री के बारे में पूछने पर वह धर्मकॉटा गेट से कुछ दूरी पर एक हाल में ले गया जहॉ पर 04 और व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। जिस पर उनको हिरासत में ले लिया गया और मौके से उपरोक्त बरामदगी हुई। वहॉ खड़ी स्विफ्ट कार के बारे में पूछा गया तो उसने कार का पेपर खो जाने की बात

बताई, जिस पर उसकी तलाशी ली गयी तो उसके डिग्गी में 08 पेटी अवैध शराब मिली, जिसके बारे में विजय ने बताया कि उरदौली बाजार में मेरी देशी शराब की दुकान है, यह दुकान अशोक नाम के व्यक्ति से ठेके पर लिया है, वहीं इसे ले जाने वाला था। अवैध रूप से शराब निर्माण कर रहे चार अभियुक्तो ने संयुक्त रूप से बताया कि अवैध रूप से शराब बनाने का काम व भण्डारण काफी दिनों से कराया जा रहा है। स्प्रिट मे पानी, कलर व अन्य केमिकल मिलाकर शराब तैयार की जाती है, जिसे बोतलो मे भरकर सिलिंग मशीन के माध्यम से ढक्कन को सील कर देते है तथा बोतलों के ऊपर मॉग के अनुरूप विभिन्न ब्राण्ड के रैपर छिपका दिये जाते है। काम इतनी सफाई से किया जाता है कि सामान्यतः देखने वाले को असली शराब होने का आभास होता है। स्प्रिट व अन्य मिश्रण अंदाजे से मिलाये जाते है।

उक्त संदर्भ में थाना महोली, जनपद सीतापुर मे मु0अ0सं0 234/2021 धारा 60/72 आबकारी एक्ट एवं 420, 467, 468, 471, 272 भादवि का अभियोग एसटीएफ के उप निरीक्षक द्वारा पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा प्रचलित है।

———